न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप तहसील फुलियाकलां

ठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

करण संख्या 66/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 उगमा पिता भूरा बलाई उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1 गीतादेवी पत्नि सूरजकरण ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 सत्यनारायण पिता गंगाराम ब्राहमण उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 दीप चन्द पिता भूरालाल पालडेचा उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 घीसा पिता भूरा बलाई उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 घीसा पिता देबी लाल नायक उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)
7 दिनेश पिता नारायण दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
8 मधु पुत्री नारायण दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
9 रमेशचन्द्र पिता नारायण दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
10 लाली पुत्री नारायण दास बैरागी उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
11 धन्नालाल पिता घनश्याम लाल बैरागी उम्र–वयस्क निवासी धनोप तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री उगमा पिता भूरा बलाई ——प्रार्थी स्वयं
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 14.10.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 25.08.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम धनोप पटवार मण्डल धनोप तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 34 के आराजी संख्या 4322/495 रकबा 0.63 हैक्ट. प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी शुरूआत से अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षीगणों की आराजी संख्या 4393/494, 493, 504, 4489/495 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी [illegible] प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमा[illegible] खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की आराजी संख्या [illegible] 4489/495 में से भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 25.[illegible]2020 को दर्ज रजिस्टर [illegible]कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फुलियाकलां (भील.)

विपक्षीगण द्वारा निहित समयावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 05 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप दिनांक 14.10.2021 के लिए पंजीबद्ध किया गया। शिविर में मौजूद अभिभाषक प्रार्थी ने अपने अभिवचनों से प्रार्थनापत्र को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक रास्ता कायमी बावत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसमें ग्राम धनोप स्थित आराजी संख्या 497 में से 0.048 हैक्टे. (480 वर्गमीटर), आराजी संख्या 4489/495 में से 0.004 हैक्टे. (48 वर्गमीटर) आराजी संख्या 504 में से 0.023 हैक्टे. (233 वर्गमीटर), आराजी संख्या 504/4303 में से 0.012 हैक्टे. (124 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 507 में से 0.007 हैक्टे. (73 वर्गमीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित हुई आराजी संख्या 504 एवं आराजी संख्या 504/4303 विपक्षी संख्या 7 लगायत 11 के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र में उपर्युक्त विपक्षी संख्या 7 लगायत 11 को बतौर पक्षकार संयोजित नही किया है। न्यायालय ने धारा 151 जा.दी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन पक्षकार विपक्षी संख्या 7 लगायत 11 के स्थान पर शिविर में संयोजित किया। अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30 00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थी को केवल आराजी संख्या 497 में से 0.048 हैक्टे. (480 वर्गमीटर), आराजी संख्या 4489/495 में से 0.004 हैक्टे. (48 वर्गमीटर) आराजी संख्या 504 में से 0.023 हैक्टे. (233 वर्गमीटर), आराजी संख्या 504/4303 में से 0.012 हैक्टे. (124 वर्गमीदर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 507 में से 0.007 हैक्टे. (73 वर्गमीटर) का ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए प्रत्येक आराजीयात रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है, कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगणो ने प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप जवाब प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

Signature Not Verified

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलो[illegible]या। प्रार्थी द्वारा 20 फिट का रास्ता चाहा गया है, एवं उसी अ[illegible]सुविधा हो तथा अप्रार्थीगण की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसी[illegible]कलां द्वारा ग्राम धनोप स्थित आराजी संख्या 497 में से 0.048 हैक्टे. (480 वर्गमीटर), आराजी संख्या 4489/495 में से 0.004 हैक्टे. (48 वर्गमीटर) आराजी संख्या 504 में से [illegible]3 हैक्टे. (233 वर्गमीटर), आराजी संख्या 504/4303 में से 0.012 हैक्टे. (124 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 507 में से 0.007 हैक्टे. (73 वर्गमीटर) फिट नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर वं उप खण्ड अधिकारी फुलिया कलाँ (भील)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम धनोप स्थित आराजी संख्या 497 में से 0.048 हैक्टे. (480 वर्गमीटर), आराजी संख्या 4489/495 में से 0.004 हैक्टे. (48 वर्गमीटर) आराजी संख्या 504 में से 0.023 हैक्टे. (233 वर्गमीटर), आराजी संख्या 504/4303 में से 0.012 हैक्टे. (124 वर्गमीटर) एवं बिलानाम आराजी संख्या 507 में से 0.007 हैक्टे. (73 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल-दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 504, 504/4303, 507, 497, 4489/495 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.095 हैक्टेयर (958 वर्गमीटर) मालियत राशि की तिगुनी राशि (0.095 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम धनोप के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
सहायक कलेक्टर
जिला-भीलवाड़ा
फुलिया कलां (भील)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.12.02 11:40:05 IST
Reason: SelfAttested